बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

टीकाकरण बचपन में होने वाली जानलेवा बीमारियों की रोकथाम करने के संबध में एक बहुत ही सरल एवं प्रभावशाली तरीका है। सार्वभौमिक/नियमित टीकाकरण कार्यक्रम (यू.आई.पी.) के क्रियान्वयन से वैक्सीन निरोधक बीमारियों की रोकथाम करने और उनका नियन्त्रण करने में काफी सहायता प्राप्त होती है। सार्वभौमिक/नियमित टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा – निर्देश के आलोक में सभी बच्चो को दस जानलेवा बीमारियों जैसे: ट्यूबरक्लोस्सि (तपेदिक), पोलियो, हैपेटाइटिस बी, गलघोंटू, काली खाँसी, टेटनस, हीमोफिलस इन्फलुएन्जी (हिब), निमोकोकल न्यूमोनिया एवं खसरा से बचाव किया जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ चयनिय जिलों में जापानी मस्तिष्क ज्वर (जापानी इन्सफेलाइटिस) का टीका भी दिया जा रहा है। टीका देने के लिए वैक्सिन का उपयोग किया जाता है। टीकों की प्रभावशीलता उनके उचित भंडारण पर निर्भर करता है। इसके भंडारण की महत्ता को देखते हुए वैक्सिन का भंडारण उचित तापक्रम पर किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि टीका प्रभावकारी रह सके एवं इसका समुचित लाभ मिल सके। इसी क्रम में भंडारण एवं वैक्सिन की उपलब्धता को सुनिश्चित एवं सुरक्षित करने हेतु एक ऐसे तकनीक की आवश्यकता है, जो ससमय वैक्सिन की उपलब्धता एवं उसके गुणवत्तापूर्ण भंडारण को सूचित कर सके ताकि वैक्सिन की गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता को बनाये रखा जा सके। इस हेतु भारत सरकार के निदेशानुसार राज्य में जून 2016 से eVIN (Electronic Vaccine Intelligence Network) परियोजना को क्रियान्वन किया गया। eVIN एक अभिनव परियोजना है, जिसके अन्तर्गत मोबाईल एप्प के माध्यम से राज्य से लेकर प्रखंड स्तर तक प्रतिरक्षण संबंधित वैक्सिन का प्रबंधन एवं डाटा लॉगर की सहायता से वैसे शीत्–श्रृंखला उपकरण जिसमें वैक्सिन का भंडारण किया जाता है, उसके तापक्रम का अनुश्रवण किया जाता है।

2 eVIN (Electronic Vaccine Intelligence Network) का क्रियान्वयन भारत सरकार के निदेशानुसार GAVI के सम्पोषण UNDP द्वारा किया जा रहा है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में इसका कार्यान्वियन शासी निकाय के अनुमोदनानुसार एन.एच.एम. द्वारा आवंटित राशि से UNDP द्वारा किया जाना है। इसके तहत UNDP द्वारा अपने अधीन पूर्व से कार्यरत कर्मियों एवं पदाधिकारियों के माध्यम से इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन पर कुल समेकित व्यय 454.11 लाख **(चार करोड़ चौवन लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र** का आकलन किया गया है।

3 इस योजना के कार्यान्वयन पर कुल समेकित व्यय (केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित) रू0 454.11 लाख **(चार करोड़ चौवन लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र** है। इस योजना के व्यय हेतु बजट शीर्ष 3106 (सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा) अन्तर्गत **40 प्रतिशत अर्थात् 181.64 लाख रू0** राज्यांश एवं भारत सरकार से एन.एच.एम. के एफ.एम.आर. **कोड 14.2.8** (Operationalization), **16.3** (Mobility Support) एवं **9.5.10.1** में (प्रशिक्षण) के अन्तर्गत **60 प्रतिशत अर्थात् 272.47 लाख रू0** केन्द्रांश है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा 454.11 लाख रूपये कर्णांकित कर दी गई है।

4 समस्त बिहार में टीकाकरण योजना के परिचालन हेतु UNDP के अन्तर्गत eVIN (Electronic Vaccine Intelligence Network) के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए UNDP को 454.11/–लाख (चार सौ चौवन लाख ग्यारह हजार) रू0 मात्र (60 % केन्द्रांश एवं 40% राज्यांश सहित) हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव पर दिनांक–13.09.2018 के मंत्रिपरिषद् की बैठक में मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

5 अतः उक्त स्वीकृति के आलोक में समस्त बिहार में टीकाकरण योजना के परिचालन हेतु UNDP के अन्तर्गत eVIN (Electronic Vaccine Intelligence Network) के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए UNDP को 454.11/–लाख (चार सौ चौवन लाख ग्यारह हजार) रू0 मात्र (60 % केन्द्रांश एवं 40% राज्यांश सहित) हस्तांतरित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक ....12/प0–क0–09–22/2018. /पटना, दिनांक – ....

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –12/प0क0–09–22/2018– /पटना, दिनांक / /2018
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –12/प0क0–09–22/2018 /पटना, दिनांक / /2018
प्रतिलिपिः–प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –12/प0क0–09–22/2018 /पटना, दिनांक / /2018
प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी क्षेत्रीय उप–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –12/प0क0–09–22/2018 /पटना, दिनांक / /2018
प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–13.09.2018 में मद संख्या–39 के आलोक में की गई कार्रवाई के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –12/प0क0–09–22/2018 -881(2)**/पटना, दिनांक** 09/10 **/2018**
प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/10/2018
सरकार के प्रधान सचिव।